

२७.३.१७

पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/पीठाधीश्वर जी
दिनांक २५.५.१७ को पेश हो।

२५/५
आदेश से रीडर

२५.५.१७

पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/पीठाधीश्वर जी
दिनांक ११.३.१७ को पेश हो।


२५/५
आदेश से रीडर

१९/५/१७

पत्रावली आज दिनांक को न्याय आपके द्वार/वेम
कोर्ट पांसल में प्रस्तुत हुई/अर्धी अधि. उप. परोक्ष
सरदार उप. अर्धना पत्र के अनुसार अर्धी के
स्वातेदारी आधिदारी एवं वकील का मत की मा. न.
३३३५/१ रवका १२ बिस्वा डिस्म नहरी भूमि
ग्राम पांसल में स्थित है। अर्धी के तब में निष्पादित
विद्वय पत्र में यह अंकन था कि मुस अर्धी की ने
आ. स. ३३३३ से लगती हुई १२ बिस्वा भूमि को
इस बिस्वा था लेकिन पत्रवाक हल्का ने उक्त भूमि
का राजस्व नक्शे में अंकन करते समय विद्वय
पत्र के अनुसार अंकन न करके उक्त इस भूदा
भूमि को ३३३४ से लगता हुआ मानकर नक्शे
में तरमीम कर ही जिसे सही दिया जाना
विधि सम्मत है।

अर्धी के अर्धना पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों
नक्शा तरमीम, रजिस्ट्री का कवलीकन विपणन
बल्स उभयपक्ष सुनी गई। यह पाया गया कि
रजिस्ट्री में केवल आ. न. ३३३३ से लगती हुई
बतायी गई है। ०-१२ बिस्वा के चारों पुरेकी
नहीं बताये गये हैं। तरमीम की गई मा. न.
३३३५/१ का उत्तरी सिरा मा. न. ३३३३ से लगता
हुआ है। अतः अर्धी का यह कथन कि तरमीम
की गई मा. न. ३३३५/१, मा. न. ३३३३ से
लगती हुई नहीं है सत्य नहीं पाया गया है।
राजस्व रिपोर्ट में की गई तरमीम रजिस्ट्री
अनुसार ही है। अतएव अर्धी का अर्धना पत्र
कानूनी धारा १३१, १३६, रा. वि. स. रवादिज दिया जाता
है। यह निर्णय आज दिनांक १९/५/१७ के

सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली चेंसल शुमार
लोकन मंवर से डम हो।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा